कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांकः 1038 / विकास अनुभाग (जि.यो.) / 2020–21 / दिनांकः 31/08/2020

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/
बीज उत्पादन अधिकारी, उ.प्र.।

विषयः गन्ना विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुदान संख्या–23(अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य मद) के अन्तर्गत 0.5 प्रतिशत की धनराशि वानिकी कार्यो हेतु मात्राकरण करते हुए बजट प्राविधान के सापेक्ष जिले एवं कार्यक्रमवार कुल धनराशि रु.1658.85 लाख के व्यय के सम्बन्ध में।

कृपया पत्र के साथ संलग्न शासनादेश सं.–24 / 2020 / 860 / 46–1–20–1000(08) / 2020 दिनांक 13 अगस्त, 2020 का अवलोकन करें, जो गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के निमित्त चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में **अनुदान संख्या–23** (सामान्य) के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं सामान्य मद हेतु आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.1,53,50,428, प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम हेतु रु.4,05,51,049, अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.4,49,612, आधार बीज यातायात कार्यक्रम हेतु रु.20,49,100, मृदा एवं बीज उपचार कार्यक्रम हेतु रु.4,94,76,359, पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम हेतु रु.2,15,07,442, बायोफर्टिलाईजर / वर्मीकम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम हेतु रु.3,60,03,824 तथा वानिकी कार्यक्रम हेतु रु.4,97,186 अर्थात कुल धनराशि रु.16,58,85,000 (सोलह करोड़ अठ्ठावन लाख पिचासी हजार) लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी है। अवमुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय / उपयोग करने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

उपर्युक्त शासनादेश के प्रस्तर–1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि गन्ना विकास योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश स.–2043सी.डी. / 46–3–12–1000(38) / 2012 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइड–लाइन्स) तथा शासनादेश सं. –1533 / 52–3– 2013–सा (30) / 13 दिनांक 24 अगस्त, 2013 में अल्पसंख्यकों के लिए 20 प्रतिशत मात्राकृत किये जाने के निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–285 / 26–3–2014–3(15) / 2007टी.सी. दिनांक 03 मार्च, 2014 के अनुसार 17 पिछड़ी जातियों हेतु 7.5 प्रतिशत तथा वन विभाग के शासनादेश

संख्या–2464/14– 5–2015–123/2015 दिनांक 20 अक्टूबर, 2015 के अनुसार 0.5 प्रतिशत मात्राकरण करते हुए व्यय की जायेगी। इस शासनादेश के संलग्नक के कालम–24 में वानिकीकरण हेतु निर्दिष्ट धनराशि आहरित कर सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी को व्यय करने के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

2. स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी या बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभार्थियों को धनराशि का वितरण सम्बन्धित गन्ना विकास परिषदों द्वारा सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी या बीज उत्पादन अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त NEFT/RTGS के माध्यम से डी.बी.टी. व्यवस्था के तहत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं.–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के सुसंगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3. संदर्भित योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान वितरण बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

4. आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय।

5. योजना में निहित राज्य/सहायता अनुदान का लेखा जोखा रखने तथा प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. लखनऊ का होगा।

6. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नही रखी जायेगी।

7. स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं/मदों की उक्त धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमाति से ही किया जायेगा।

8. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक **"2401–फसल कृषि कर्म–108–वाणिज्यिक**

फसलें–06–गन्ना विकास की योजना (जिला योजना)–20 सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)" के नाम डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप सं.1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्याः6/2020/बी–1–218/दस–2020–231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या.07/26–ब.प्र.2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

जनपद शामली, हापुड़, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरण कर सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी।

अवमुक्त धनराशि का व्यय सुनिश्चित करते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार प्रयागराज, वित्त विभाग, शासन तथा इस कार्यालय को उपलब्ध कराना ससमय सुनिश्चित करें ।

संलग्न–यथोपरि।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

पत्रांक का/1038/ली तद्दिनांकः 31/8/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उ.प्र. शासन।
2. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र.।

(श्रीनाथ सिंह कुशवाहा)
वित्त नियंत्रक,
कार्यालय गन्ना एवं चीनी उत्तर प्रदेश